

प्रपत्र-2.2

PART-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/ROAD/62388/2020

परियोजना का नाम- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.100 है0 सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.100 कुल 2.200 है0 सिविल वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। दिनांक 24.03.2021
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत, परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रजाति के कुल 115 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें बॉज प्रजाति के 91 वृक्ष भी प्रभावित होंगे।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	परियोजना विकास कार्यों से सम्बन्धित है। जनहित में संस्तुति की जाती है।

दिनांक 26.03.2021

स्थान पोड़ी

हस्ताक्षर.....

नाम (एन0एन0पाण्डेय)

वन संरक्षक

बदामाल वृ. उत्तराखण्ड

पोड़ी

दिनांक 24.03.2021 को जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत
ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण की
निरीक्षण टिप्पणी।

उपरोक्त मोटर मार्ग का दिनांक 24.03.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय लोक निर्माण विभाग गौचर के सहायक अभियन्ता श्री राशिद खान एवं वन विभाग के अधीनस्थ स्टाफ तथा श्री मुरलीधर मैखुरी कार्य अभिकर्ता, ग्राम प्रधान डिडोली उपस्थित रहे। प्रस्तावित मार्ग ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसमें कुल 115 वृक्षों में से 91 बॉज के वृक्ष प्रभावित होंगे। प्रस्तावित संरक्षण में वृक्ष पातन न्यूनतम है तथा वैकल्पिक संरक्षण से अधिक उपयुक्त है। प्रस्ताव संस्तुति के साथ अग्रसारित किया गया।


(एन0एन0पाण्डेय)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।